न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड़ अधिकारी,रावतभाटा जिला– चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या प्रार्थना पत्र –66 / 2016

अनवान

1. विष्णु कुमार पुत्र उदयलाल जी आमेटा, जाति ब्राह्मण, आयु बालिग, निवासी खुमानगंज, तहसील रावतभाटा, हाल निवासी ग्राम फलासियां, तहसील माण्डलगढ़, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान।
2. भगवती देवी पुत्री उदयलाल जी आमेटा, जाति ब्राह्मण, आयु बालिग, निवासी खुमानगंज, तहसील रावतभाटा, हाल निवासी ग्राम फलासियां, तहसील माण्डलगढ़, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान।
3. क्षेमलता देवी पुत्री उदयलाल जी आमेटा, जाति ब्राह्मण, आयु बालिग, निवासी खुमानगंज, तहसील रावतभाटा, हाल निवासी ग्राम फलासियां, तहसील माण्डलगढ़, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान।

–वादीगण

बनाम

1. नानालाल पुत्र प्यारचंद जी, जाति रेगर, आयु बालिग, पेशा काश्त, निवासी खुमानगंज, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
2. माणकचंद पुत्र प्यारचंद जी, जाति रेगर, आयु बालिग, पेशा काश्त, निवासी खुमानगंज, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
3. मदनलाल पुत्र प्यारचंद जी, जाति रेगर, आयु बालिग, पेशा काश्त, निवासी खुमानगंज, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
4. भंवरलाल पिता देवा, जाति रेगर, आयु बालिग, पेशा काश्त, निवासी खुमानगंज, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
5. वेणा पिता देवा, जाति रेगर, आयु बालिग, पेशा काश्त, निवासी खुमानगंज, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
6. श्यामलाल पिता देवा, जाति रेगर, आयु बालिग, पेशा काश्त, निवासी खुमानगंज, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
7. भूमिधारी तहसीलदार साहब, रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

अप्रार्थीगण / विपक्षी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री भूपेन्द्र पुरोहित अभिभाषक वादी
श्री आजाद हुसैन अभिभाषक प्रतिवादी

निर्णय

दिनांक 08.07.2025

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीया की आराजी मौजा ग्राम खुमानगंज प0ह0 धांगड़गउकलां की जमाबंदी संवत् 2070–73 की खतोनी संख्या 52, खसरा संख्या 488, 489 कुल किता–02, रकबा 2.23 है0 लगानी 12.12 रूपये हिस्सा 1/2 दर्ज रिकॉर्ड है, जो कि वादीया की माता देउ बाई की मृत्यु के पश्चात् विरासत से खातेदारी प्राप्त हुई है। वादीया माता वृद्ध होने से उक्त विवादित आराजी को बदल–बदल कर प्रतिवादीगणों 1 से 3 को पाती पर काश्त हेतु देती थी लगातार किसी भी प्रतिवादी को काश्त कर नहीं दी गई। वादीया की माता की मृत्यु के पश्चात् उक्त आराजी प्रति[illegible] 03 व अन्य ग्रामवासियों को बदल–बदल कर मुनाफे एवं पाती काश्त पर देती र[illegible]। यह[illegible] 08 वर्ष पूर्व प्रतिवादी संख्या 01 से 03 ने संयुक्त रूप से वादीया की आराजी को [illegible] ठेके पर काश्त हेतु ली थी, चार वर्ष तक ठेके की राशि देते रहे परन्तु 04 वर्ष से [illegible] की राशि देने में आनाकानी कर रहे है, तथा कब्जा छोड़ने की कहने पर लड़ाई–झगड़ा करने पर आमादा है। अभी एक माह पूर्व वादीया के पुत्र उक्त आराजी पर ट्रेक्टर लेकर [illegible]ई करने गये तो प्रतिवादी संख्या 01 से 03 ने ट्रेक्टर को खेत पर नहीं जाने दिया तथा गाली गलोच कर मरने–मारने पर उतारू हो गये थे, झूठे मुकदमें में फंसाने की भी धमकियां दी थी। प्रतिवादी संख्या 01 से 03 ने वादीया की आराजी पर जबरन कब्जा कर लिया है मुनाफा भी नहीं दे रहे है, खेत पर घुसने तक भी नहीं दे रहे है जिससे लगातार वाद कारण उत्पन्न हो रहा है। प्रार्थीया/वादीया ने मामले हाजा में एक प्रार्थना–पत्र पत्थरगढ़ी का धारा 128

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.07.29 13:31:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

रा0लै0रे0 एक्ट के तहत पेश किया था जिसकी प्रकरण संख्या 05/2016 है जिसके निर्णय की पालना में तहसीलदार रावतभाटा द्वारा मौका पर्चा रिपोर्ट तैयार की गई थी जिसमें भी प्रार्थीया की आराजी पर कब्जा होना बताया है। प्रार्थीया/वादीया खातेदार काश्तकार होने से प्रथम दृष्टया प्रतिवादीगण विवादित आराजी से बेदखल किये जाने योग्य हैं

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 4, 5, 6 न्यायालय में अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए। प्रतिवादी संख्या 01 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री आजाद हुसैन द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत कर जवाब दावा प्रस्तुत किया। जवाब दावा इस प्रकार है कि कॉलम संख्या 01 में वर्णित आराजी मौजा खुमानगंज में होना स्वीकार है, शेष इबारत इतनी स्वीकार है कि प्रतिवादीगण के दादा होकम जी ने वादीया की माता देउ बाई से विवादित आराजीयात किमतन आज से 75 साल पहले खरीद की थी, तब से ही प्रतिवादीगण के दादा एवं पिता विवादित आराजी पर काश्त करते चले आ रहे थे और होकम जी की मृत्यु के बाद प्रतिवादी व उनके पिता प्यारचंद जी काश्त करते आ रहे है। देउ बाई विवादित आराजीयात का बेचान कर भीलवाडा जिले के किसी गांव में जाकर बस गई थी। वाद पत्र की कॉलम संख्या 02 में जो तथ्य अंकित किये गये है वह पूर्णतया गलत होने से स्वीकार नहीं है, भूमि बेचान करने के बाद देउ बाई वादीया या उसका कोई उतराधिकारी कभी भी खुमानगंज में नही आया और ना ही कभी किसी अन्य व्यक्ति को विवादित आराजीयात काश्त करने के लिए दी, शुरू से ही 75 वर्षो से प्रतिवादीगण के दादा, पिता व प्रतिवादीगण ही काश्त करते चले आ रहे है। कॉलम संख्या 03 गलत होने से स्वीकार नहीं है वादी के कोई उतराधिकारी या वादीयां कभी भी ट्रेक्टर लेकर मोके पर खेत हंकवाने के लिए नहीं आई और प्रतिवादीगण ने कभी भी गाली गलौच की हो या लडाई झगडा किया हो पूर्णतया गलत है। विवादित आराजीयात प्रतिवादीगण के दादा होकम जी ने खरीद की हो, इसी आधार पर प्रतिवादीगण काश्त करते आ रहे है, कोई जबरन कब्जा नहीं किया गया है, विवादित आराजीयात पर प्रतिवादीगण का एडवर्स पजेशन चला आ रहा है। अंत मे प्रतिवादीगण के निवेदन किया है कि विवादित आराजीयात पर प्रतिवादीगण का 75 वर्ष से भी अधिक समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है, इस दरम्यान वादीया या उसकी माता देउ बाई या उतराधिकारी ने कोई काश्त नहीं की है, प्रतिवादीगण का एडवर्स पजेशन है। दावा मियाद बाहर होने से चलने योग्य नहीं है, कानून में बेदखली के बाद की अवधि 12 वर्ष निर्धारित की गई है और प्रतिवादीगण का कब्जा 12 वर्ष से अधिक समय से चला आ रहा है। उपरोक्त कारणों से वाद खारिज किये जाने योग्य होने से खारिज फरमाया जावे।

प्रतिवादी संख्या 7 पेरोकार सरकार द्वारा दिनांक 23.11.2017 को जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सलंग्न जमाबंदी की नकल एवं रिपोर्ट पटवारी धांगडकलां के अनुसार ग्राम खुमानगंज के आराजी संख्या 488 रकबा 0.21है0, आराजी संख्या 489 रकबा 2.02है0 कुल किता 02 रकबा 2.23है0 भूमि जगदीश चन्द, विष्णकुमार, भगवती देवी, हेमलता माता मोहनी बाई 1/2 ब्राहम्ण निवासी हा0मु0 फलासिया कास्या पिता जगन्नाथ 1/2 धाकड सा. दे हके नाम दर्ज रिकार्ड है जिसकी प्रमाणित जमाबंदी की नकल सलंग्न है। मौके पर आराजी संख्या 488 रकबा 0.21है0 भूमि मे सडक एवं आराजी संख्या 489 रकबा 2.02है0 भूमि पर हिस्सा 1/2 पर भंवरलाल, वेणा, श्यामलाल पिता देवा, मदन, माणकचन्द, नानूराम पिता प्यारचन्द रेगर निवासी खुमानगंज का कब्जा काश्त है एवं हिस्सा 1/2 पर कास्या पिता जगन्नाथ धाकड सा. देह का कब्जा काश्त है।

वादी ने वादपत्र के कथन की पुष्टि मे दस्तावेजी सबूत के रूप में शपथ पत्र प्रस्तुत कर बयान गवाह में विष्णु कुमार का शपथ पत्र पी.ड[illegible] 01 हेमलता का शपथ पत्र पी.डब्ल्यू. 02, भगवती देवी का शपथ पत्र पी.डब्ल्यू. 03 पेश कर बयान करा[illegible]वेजी सबूत में ग्राम खुमानगंज पटवार हल्का धांगडमउकलां की जमाबंदी [illegible] 2076 [illegible] 2079 की खतौनी संख्या 110 की खसरा संख्या 488, 489 [illegible] 2.23है0 की नकल प्रदर्श –1 व पत्थरगढी आदेश 17.05.2016 [illegible]री, रावतभाटा की पेश की जो प्रदर्श–2 है, पत्थरगढी का प0ह0 पर्चा मौका ग्राम [illegible]मानगंज प0ह0 धांगडमउकलां प्रदर्श–3 है, न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड [illegible]कारी रावतभाटा पत्रांक 5 दिनांक 17.05.2016 तहसीलदार रावतभाटा को पत्थरगढी की जाने के आदेश प्रति प्रदर्श–4 है, तथा प्रतिवादी को पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद भी कोई दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत नहीं किये। इसलिए प्रतिवादी के साक्ष्य न्यायालय द्वारा बंद किये गये। प्रकरण में वाद पत्र एवं प्रतिवाद पत्र के आधार पर 5 वाद बिन्दु कायम किये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.07.29 13:31:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

हमने वाद पत्र पर उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी। वकील वादी ने बहस में वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि वादीगण की खातेदारी की कृषि आराजी ग्राम खुमानगंज में स्थित होकर वादीगण की खातेदारी में दर्ज है उक्त विवादित आराजी पर प्रतिवादीगण द्वारा जबरन कब्जा कर लिया है। जिसका प्रतिवादीगण को कोई अधिकार नहीं था। अतः वादीगण का वादपत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा पुनः वादीगण को दिलावे, तदनुसार डिक्री जारी फरमाई जावें। इसके विपरीत वकील प्रतिवादीगण ने जवाब में वाद पत्र के तथ्यों को अस्वीकर कर निवेदन किया कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत तथ्य मनगढन्त व झूठे हैं। विवादित आराजीयात प्रतिवादीगण के दादा होकम जी ने वादीया की माता देउ बाई से विवादित आराजीयात किमतन आज से 75 साल पहले खरीद की थी, तब से ही प्रतिवादीगण के दादा एवं पिता विवादित आराजी पर काश्त करते चले आ रहे थे और होकम जी की मृत्यु के बाद प्रतिवादी व उनके पिता प्यारचंद जी काश्त करते आ रहे है। प्रतिवादीगण का एडवर्स पजेशन है। दावा मियाद बाहर होने से चलने योग्य नहीं है, कानून में बेदखली के वाद की अवधि 12 वर्ष निर्धारित की गई है और प्रतिवादीगण का कब्जा 12 वर्ष से अधिक समय से चला आ रहा है, इसलिए वाद कारण के अभाव में वादीगण का वाद पत्र अस्वीकार कर खारीज फरमाया जावें।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत शहादत सबूत के आधार पर प्रकरण में कायम वाद बिन्दू निम्न प्रकार से निर्णित किये जाते हैं।

तनकी नंबर –1

आया वादी राजस्व रिकार्ड अनुसार खातेदार है तो प्रतिवादीगण को बेदखल कराने का अधिकारी है।

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था। वादीगण ने जवाब दावे के कथन में स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत कर बयान गवाह करा पत्रावली में शामिल दस्तावेजो का प्रदर्श कराए। दस्तावेजी सबुत में ग्राम खुमानगंज पटवार हल्का धांगडमउकलां की जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 की खतौनी संख्या 110 की खसरा संख्या 488, 489 कुल किता 02 कुल रकबा 2.23है0 की नकल प्रदर्श –1 है तथा पत्थरगढी प0ह0 पर्चा मौका ग्राम खुमानगंज प0ह0 धांगडमउकलां प्रदर्श–3 है, न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा पत्रांक 5 दिनांक 17.05.2016 तहसीलदार रावतभाटा को पत्थरगढी की जाने के आदेश प्रति प्रदर्श–4 है। तहसीलदार रिपोर्ट में प्रतिवादीगण का कब्जा कब्जा बताया है। जिससे उक्त तनकी बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी नंबर –2

आया वादी की आराजी पर जबरन कब्जा कर लिया तथा प्रतिवादी से मुनाफा वसूल करने के भी हकदार है।

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था। वादीगण ने विवादित आराजीयात कें संबंध में पर्चा मौका ग्राम खुमानगंज प0ह0 धांगडमउकलां प्रदर्श–3 है। वादीगण के माता मोहनी बाई पिता कालू ब्राहम्ण [illegible] उक्त तनकी उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण साबित करा पाने में [illegible] से बहक वादीगण निर्णित की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.07.29 13:31:56 IST
Reason: SelfAttested

तनकी नंबर –3

आया वादी की आराजी पर प्रतिवादीगण का कब्जा है।

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था। वादीगण द्वारा पर्चा मौका पत्थरगढी का प0ह0 धांगडमउकलां का पेश किया जिसमें वादीगण के माता मोहनी बाई की जमीन की नप्ति की जाकर निशानियात कायम किये गए, जिससे उक्त तनकी बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी नंबर –4

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

आया वादीया मोहनी बाई ने आराजी का बेचान कर दिया था, प्रतिवादी का एडवर्स पजेशन है।

उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण ने जवाब दावे के कथन में कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किए गए। जिससे उक्त तनकी बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी नंबर –5

आया दावा मियाद बाहर होने से चलने योग्य नहीं है।

उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण ने जवाब दावे के कथन में कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किए गए। जिससे उक्त तनकी बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

अनुतोष –

वादीगण अपने जिम्मे के वाद बिन्दू साबित करा पाने में सफल रहने से वादी ग्राम खुमानगंज पटवार हल्का धांगडमउकलां की जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 की खतौनी संख्या 110 की खसरा संख्या 488, 489 कुल किता 02 कुल रकबा 2.23है0 भूमि का कब्जा वादीगण प्राप्त करने की अधिकारी है।

–:आदेशः–

अतः वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा–183, 209 आर.टी.ए. का स्वीकार किया जाकर ग्राम खुमानगंज पटवार हल्का धांगडमउकलां की जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 की खतौनी संख्या 110 की खसरा संख्या 488, 489 कुल किता 02 कुल रकबा 2.23है0 भूमि पर यदि प्रतिवादीगण का कब्जा पाया जाता है तो उक्त भूमि से प्रतिवादीगण का कब्जा हटाया जाकर कब्जा वादीगण को सुपुर्द करने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 08.07.2025 को सुनाया गया। निर्णयानुसार डिक्री जारी की जावे तथा खर्चा पक्षकार अपना अपना वहन करें।

(महेश गगोरिया)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, सवतभाटा
जिला चितौडगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सवतभाटा (चित्तौड़गढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.07.29 13:31:56 IST
Reason: SelfAttested